

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या
15/112 /2025

प्रवेश तिथि
08.07.2025

निर्णय दिनांक
09.07.2025

1- Can FiN Home Limited Above Ujjiwan Small Finance Bank, Circular Road ,
Rewari- 123401

प्रार्थी

बनाम

- 1- Mrs. Deepti Anil W/o Mr Anil Kumar,
Flat No 309, Tower- B2, Avalon Homes, Alwar Bye Pass Road Bhiwadi
Rajsthan Pin- 301019
- 2- Mr. Anil Kumar S/o Mr. Keshavan Kuttappan
A-4, 2nd Floor Dreamland Appartment Khasra No 827/1 Beside Upkar
Colony Burari New Delhi- 110084

अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन
एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड
एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी, Can FiN Home Limited Above Ujjiwan
Small Finance Bank, Circular Road , Rewari- जरिये प्राधिकृत अधिकारी की ओर से
यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल
एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें
निवेदन किया गया है, कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा अप्रार्थीयान को दिनांक 20.07.2019
को 18,72,000/- रुपये (अक्षरेन अठारह लाख बहत्तर हजार रुपये मात्र) का ऋण प्रदान किया
था। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर साम्यिक बन्धक सम्पत्ति Flat No. 309 Tower-
b2 avalon home alwar bye pass road bhiwadi Rajsthan Pin- 301019, vide
sale deed no 201902213000915 दिनांक 24.07.2019 स्थिति भूमि एवं भवन अन्तर्गत
स्वामित्व Mrs. Deepti Anil W/o Mr Anil Kumar प्रार्थी बैंक के समक्ष बन्धक रखी गई
है। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक बैंक द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया
गया।


उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के
तहत पंजीकृत नोटिस मियादी 60 दिन दिनांक 03.05.2024 भेजा गया, परन्तु अप्रार्थीयान ने
ऋण राशि की अदायगी बैंक को नहीं की गयी। बैंक ने उपरोक्त परिसम्पत्ति को नो परफोर्मिंग
एसेट्स दिनांक 30.04.2024 को घोषित कर दिया है। जिससे बैंक के पक्ष में रहन रखी गई
सम्पत्ति Flat No. 309 Tower -b 2 avalon home alwar bye pass road bhiwadi
Rajsthan Pin- 301019, vide sale deed no 201902213000915 दिनांक
24-07-2019 स्थिति भूमि एवं भवन अन्तर्गत स्वामित्व Mrs. Deepti Anil W/o Mr Anil
Kumar का कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल-तिजारा

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्थान ने नियमानुसार दिनांक 03.05.2024 को धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाक अप्रार्थीयान को भिजवाया गया। बकाया 18,72,000/- रुपये (अक्षरेन अठारह लाख बहत्तर हजार रुपये मात्र) का ऋण प्रदान किया था। एवं इसके पश्चात् का ब्याज एवं अन्य खर्च सहित नोटिस की तारीख के 60 दिन में भुगतान कर दें किन्तु समयावधि समाप्त होने के उपरान्त भी ऋण की अदायगी नहीं गई। जिससे अप्रार्थीयान द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया जाना स्पष्ट है। सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्थान के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः सिक्यूरिटी के रूप में रखी गई सम्पत्ति Flat No. 309 Tower -b 2 avalon home alwar bye pass road bhiwadi Rajsthan Pin-301019, vide sale deed no 201902213000915 दिनांक 24-07-2019 स्थिति भूमि एवं भवन अन्तर्गत स्वामित्व Mrs. Deepti Anil W/o Mr Anil Kumar का कब्जा प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्थान को दिलाया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्थान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्थान को सम्भलवाने के आदेश दिए जाते हैं। पारित निर्णय की प्रमाणित-प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाडी को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं, कि रहन रखी गई सम्पत्ति Flat No. 309 Tower -b 2 avalon home alwar bye pass road bhiwadi Rajsthan Pin- 301019, vide sale deed no 201902213000915 दिनांक 24-07-2019 स्थिति भूमि एवं भवन अन्तर्गत स्वामित्व Mrs. Deepti Anil W/o Mr Anil Kumar को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्थान को सम्भलवाया जावे। रहन रखी सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेंवे तथा कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्थान कब्जा लेने की तिथि व समय से जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाडी को सूचित करें। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(जिला मजिस्ट्रेट
जिला कलकत्ता एवं जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल-तिजारा
खैरथल-तिजारा (राज0)